

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ दिनांक 06 अक्टूबर, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी देवशरन पटेल पुत्र स्व० रामलाल पटेल, निवासी जनपद-सतना (म०प्र०) की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु०) के पत्र संख्या-39803/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.10.2025) दिनांक-16.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी देवशरन पटेल पुत्र स्व० रामलाल पटेल, पौशलहा थाना-कोतवाली नया गाँव, जनपद-सतना (म०प्र०) का निवासी है। एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड़ फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं०-140/2007 में भा०द०वि० की धारा-302/149 सहपठित धारा-12 डी.ए.ए. एक्ट, 307/149 भा०द०वि० सहपठित धारा-12 डी.ए.ए. एक्ट व 147, 148 भा०द०वि० व 7 कि०ला० अमेंडमेंट एक्ट के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, बांदा के आदेश दिनांक 30.06.2022 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बन्दी द्वारा दिनांक 05.10.2025 तक 18 वर्ष, 00 माह, 07 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 11 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सतना (म.प्र.) द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने एवं सामाजिक भय व्याप्त करने की श्रेणी में होने, भविष्य में गैंग के सक्रिय सदस्य होने से अपराध करने एवं गैंग तैयार करने से इन्कार नहीं किये जाने, गैंग का सक्रिय सदस्य होने से पुनः अपराध घटित करने से इन्कार नहीं किये जाने, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जेल में निरुद्ध रखना उचित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोवेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड़ फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी देवशरण पटेल पुत्र स्व० रामलाल पटेल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी देवशरण पटेल (बन्दी संख्या-230/2024) पुत्र स्व० रामलाल पटेल, निवासी जनपद-सतना (म०प्र०) के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1370/2026/2208(1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, सतना (म०प्र०)।
- 2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
- 3- निजी सचिव, मा० मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 4- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देवशरन पटेल पुत्र स्व० रामलाल पटेल, पौशलहा थाना-कोतवाली नया गाँव, जनपद-सतना (म०प्र०) का निवासी है। एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड़ फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या कर दी, उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं०-140/2007 में भा०द०वि० की धारा-302/149 सहपठित धारा-12 डी.ए.ए. एक्ट, 307/149 भा०द०वि० सहपठित धारा-12 डी.ए.ए. एक्ट व 147, 148 भा०द०वि० व 7 कि०ला० अमेंडमेंट एक्ट के अन्तर्गत मा० विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, बांदा के आदेश दिनांक 30.06.2022 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, बन्दी द्वारा दिनांक 05.10.2025 तक 18 वर्ष, 00 माह, 07 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष, 11 माह, 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सतना (म.प्र.) द्वारा शासनादेश संख्या 1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि०एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने एवं सामाजिक भय व्याप्त करने की श्रेणी में होने, भविष्य में गैंग के सक्रिय सदस्य होने से अपराध करने एवं गैंग तैयार करने से इन्कार नहीं किये जाने, गैंग का सक्रिय सदस्य होने से पुनः अपराध घटित करने से इन्कार नहीं किये जाने, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जेल में निरूद्ध रखना उचित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में एसटीएफ टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी की दस्यु ठोकिया उर्फ अम्बिका पटेल अपने गैंग के साथ सकरीबेड़ा जंगल में उपस्थित है। कम्बिंग से वापस आते समय पहले से घात लगाकर ठोकिया गैंग द्वारा स्वचलित हथियारों से ताबडतोड़ फायरिंग करते हुये दिनांक 22.07.2007 की रात्रि को बन्दी ने 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 06 कमाण्डो व 01 जनता का व्यक्ति सहित कुल 07 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी देवशरन पटेल पुत्र स्व० रामलाल पटेल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।